एफ.संख्या 5(2)-बी(पी.डी.)/2016 भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

नर्ड दिल्ली, दिनांक ६ जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम – 2016-17 के दौरान वाहन खरीदने के लिए ब्याज की दर।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्निमों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में मोटर कार अग्निम और मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्निम से संबंधित अन्य ब्याज वाले अग्निमों को व्यय विभाग के दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(1)/ई.II(ए)/2016 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तथापि वर्ष 2016–2017 के दौरान अर्थात् 1 अप्रैल, 2016 से 7 अक्टूबर, 2016 की अविध में वाहनों की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को समाप्ति से पूर्व स्वीकृत किए गए अग्निमों के लिए ब्याज की दरें निम्नानुसार हैं:--

ब्याज की वार्षिक दर

 मोटर-कार को छोड़कर अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम (अर्थात मोटर-साइकिल, स्कूटर आदि)

9 प्रतिशत

(ii) मोटर-कार खरीदने के लिए अग्रिम

11.5 प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागू दरों में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ए.के. भटनागर) अवर सचिव (बजट)

सेवा में

विषय:

- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के एकीकृत वित प्रभाग, लेखा नियंत्रकों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों के लिए अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित।
- बिना विधानमंडल वाले संध राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

- भारत के नियंत्रक महालेखा—परीक्षक, नई दिल्ली।
- 2. महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली।
- 3. रक्षा महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली।
- सभी महालेखाकार और लेखा निदेशक।
- 5. भारत का सर्वोच्च न्यायालय ।
- 6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

उग्राच्य (ए.कं. मटनागर) अवर सचिव (बजट) F.No.5(2)-B(PD)/2016 Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs

New Delhi, the 6th January, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Advances to Government servants — Rate of interest for purchase of conveyances during 2016-2017.

The undersigned is directed to state that in pursuance of the decision taken by the Government on the Seventh Pay Commission recommendations relating to advances, Department of Expenditure vide the O.M. No.12(1)/E.II(A)/2016 dated 7th October, 2016 has discontinued the interest bearing advances relating to Motor Car Advance and Motorcycle/Scooter/Moped Advance. However, the rates of interest for advances sanctioned to the Government servants prior to the discontinuance for purchase of conveyance during 2016-17 i.e. from 1st April, 2016 to 7th October, 2016 are as under:-

Rate of interest per annum

(i) Advance for purchase of conveyance other than motor car (viz. motor cycle, scooter etc.)

(ii) Advance for purchase of motor car

9% 11.5%

The rates remain unchanged from those applicable for the financial year 2015-16.

(A.K. Bhatnagar)

Under Secretary (Budget)

To

 All Ministries/Departments of the Government of India with spare copies for Integrated Finance Division (IFD), Controller of Accounts and Pay and Accounts Offices.

2. Finance Secretaries of UTs without legislature.

Copy forwarded to:-

- C&AG of India, New Delhi.
- C.G.A., New Delhi.
- 3. C.G.D.A., New Delhi.
- All AGs and Director of Accounts.
- Supreme Court of India.
- 6. UPSC, New Delhi.

(A.K. Bhatnagar)
Under Secretary (Budget)